014344072
9057746145
9461725118
9672637436
9462725199
8949185366
8949532863
7568031216
8955196986
8107404344
7568906448
7742272268

प्र. स. .... /दावा/प्र.पत्र/..................

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
22/9/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। बहस प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 27.09.2022 को पेश हो। [signature]	[signature]
27/9/22	पत्रावली आज दिनांक को वास्ते आदेश पेश हुई। प्रार्थी का प्रा०पत्र साक्ष्य एवं रेकार्ड के अभाव में अस्वीकार किया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर श्रा०नि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी दीपक [illegible] (R.A.S)

मिसल नं0
34/प्रकरण/2020

तारीख दायर
23.12.2020

तारीख फैसला
27.09.2022

रामकल्याण आत्मज श्री कान्हा जाति माली निवासी तीरथ तहसील तालेड़ा जिला बूंदी

......प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार तालेड़ा बूंदी (राज0)

.........अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक

अधिवक्ताप्रार्थी:- श्री जगदीश सैन

— : : निर्णय : : —

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 136 एलआर एक्ट

इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट के तहत प्रार्थी द्वारा पेश किया है। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की आराजी खसरा सं0 803 पूर्व में एक बडा खसरा नम्बर था जिसके अलग–अलग टुकडो के अलग–अलग खातेदारान् सेटलमेन्ट से पूर्व राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अंकित चले आ रहे थे जिसमें एक खसरा नम्बर 803/घ प्रार्थी के पूर्वज मंगला पुत्र पन्ना जाति माली निवासी तीरथ की खातेदारी में अंकित चला आ रहा था। इसी प्रकार खास0 803 के अन्य टुकडे भी अलग–अलग व्यक्तियो के खातेदारी अंकित चले आ रहे थे एवं राजस्व रेकार्ड अनुसार काबिज काश्त थे। सेटलमेन्ट की कार्यवाही के दौरान सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों द्वारा इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि जो टुकडा जिस व्यक्ति के खाते में और जिस स्थान पर काबिज है उसी अनुरूप नया खसरा नम्बर बाद सेटलमेन्ट सम्बन्धित खातेदारान् के खाते अंकित किये जाने चाहिए थे लेकिन जो आराजी पूर्व में जिस काश्तकार के खाते एवं कब्जे में अंकित थी बाद सेटलमेन्ट के वह आराजी खसरा नम्बर अन्य व्यक्तियों के खाते अंकित हो गयी है। वर्तमान में सभी काश्तकार पूर्व के खाते के अनुसार ही काबिज है और काश्त करते चले आ रहे है लेकिन काश्तकार अपनी –अपनी आराजी का योजना अनुसार सही लाभ प्राप्त नही कर पा रहे है और भविष्य में विवाद होने की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना बनी हुई है। प्रार्थी के पूर्वजो के खाते में अंकित आराजी खास0 803/घ रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा के स्थान पर नयी आराजी खसरा नम्बर 1052 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा किस्म बारानी अंकित कर दिया गया है जबकि प्रार्थी के कब्जे व खाते के नये खसरा

15

नम्बर 1214 एवं 1214/1464 है परन्तु उक्त खसरा नम्बर मे से 1214 खसरा नम्बर एक अन्य खातेदार छीतरलाल मीणा के खाते अंकित कर दिया गया है वर्तमान में उसके वारिसान के नाम अंकित हो रहा है एवं आराजी ख0सं0 1214/1464 वर्तमान में सिवायचक अंकित है। इसी प्रकार ख0सं0 1212 प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवार जनो के खाते अंकित कर दिया गया है जबकि उक्त खसरा नम्बर उपरोक्त खातेदार छीतरलाल मीणा के कब्जे व काश्त में चला आ रहा है जो पूर्व में भी उन्हीं के खाते दर्ज था इस प्रकार भविष्य में उक्त खसरा नम्बर खातेदारो के नाम दुरुस्त नहीं किये जाने पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रार्थी अपने सेटलमेन्ट से पूर्व अंकित आराजी पर ही अपना नाम खातेदार के रूप में अंकित करवाना चाहता है और जो आराजी प्रार्थी के खाते में अंकित कर दी गयी है उसे सम्बन्धित खातेदारान् के नाम अंकित करवाना चाहता है। प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजी भूमि ख0सं0 1214 रकबा 3 बीघा 09 बिस्वा एवं आराजी ख0सं0 1214/1664 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा को प्रार्थी के नाम खाते अंकित करते हुए राजस्व रिकोर्ड दुरुस्त फरमाया जावे तथा जो आराजी प्रार्थी के नाम अंकित है उसे प्रार्थी के खाते से विलोपित करते हुए सम्बन्धित खातेदारान् के नाम अंकित किये जाने के आदेश फरमाये जाने के कृपा करे।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में मिलान क्षेत्रफल संवत 2028–47, जमाबन्दी माल मौजा तीरथ संवत 2001–05, खसरा गिरदावरी संवत 2064–67, जमाबन्दी खाता सं0 453 संवत 2064–67, जमाबन्दी खाता सं0 453 संवत 2064–67, जमाबन्दी खाता सं. 479 संवत 2067–71, खसरा गिरदावरी संवत 2071, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2028–47, जमाबन्दी खेवट खतोनी जमाबन्दी संख्या 9क , नक्शा ट्रेस रजि.क. 104 , नक्शा ट्रेस रजि.क. 3459, नक्शा ट्रेस रजि.क. 1911, नक्शा ट्रेस रजि.क. 1911 टुकडा नं. 2, नक्शा ट्रेस रजि.क. 402, नक्शा ट्रेस रजि.क. 277, नक्शा ट्रेस रजि.क. 3113, नक्शा ट्रेस रजि.क. 444 व नक्शा ट्रेस रजि.क. 5508 वाके ग्राम तीरथ पेश किये ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन दिनांक 27.01.2021 को तलब किया गया। अप्रार्थी बाद तामील उपस्थित नही होने पर दिनांक 01.08.2022 को अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में साक्ष्यप्रार्थी हेतु शपथपत्र पेश किया एवं पेश दस्तावेजात् पर प्रदर्श 1 लगायत 17 अंकित किये गये। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा लिखित बहस पेश की गई जो शा0मि0 की गई।

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा बहस की गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो एवं लिखित बहस के तथ्यो को दोहराते हुए संलग्न दस्तावेज प्रदर्श 1 लगायत 17 का अवलोकन कर कि प्रार्थी की आराजी भूमि ख0सं0 1214 रकबा 3 बीघा 09 बिस्वा एवं आराजी ख0सं0 1214/1664 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा को प्रार्थी के नाम खाते अंकित करते हुए राजस्व रिकोर्ड दुरुस्त फरमाया जावे तथा जो आराजी प्रार्थी के नाम अंकित है उसे प्रार्थी के खाते से विलोपित करते हुए सम्बन्धित खातेदारान् के नाम अंकित किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन कर पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज मिलान क्षेत्रफल संवत 2028–47, जमाबन्दी माल मौजा तीरथ संवत 2001–05, खसरा गिरदावरी संवत

2064–67, जमाबन्दी खाता सं0 453 संवत 2064–67, जमाबन्दी खाता सं0 453 संवत 2064–67, जमाबन्दी खाता सं. 479 संवत 2067–71, खसरा गिरदावरी संवत 2071, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2028–47, जमाबन्दी खेवट खतोनी जमाबन्दी संख्या 9क , नक्शा ट्रेस रजि.क. 104 , नक्शा ट्रेस रजि.क. 3459, नक्शा ट्रेस रजि.क. 1911, नक्शा ट्रेस रजि.क. 1911 टुकडा नं. 2, नक्शा ट्रेस रजि.क. 402, नक्शा ट्रेस रजि.क. 277, नक्शा ट्रेस रजि.क. 3113, नक्शा ट्रेस रजि.क. 444 व नक्शा ट्रेस रजि.क. 5508 वाके ग्राम तीरथ का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो में "खासं0 1214 एक अन्य खातेदार छीतरलाल मीणा के खाते अंकित होना एवं वर्तमान में उसके वारिसान के नाम अंकित हो रहे है " लिखा गया है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड प्रदर्श 1 लगायत 11 का अवलोकन करने पर छीतरलाल मीणा एवं उसके वारिसान का नाम अंकित है इस बाबत कोई दस्तावेजात् उपलब्ध नही है, यदि प्रार्थी के खातेदारी के ख0 सं0 एवं छीतरलाल के ख0सं0 सेटलमेन्ट में परिवर्तित हुए है तो प्रकरण में छीतरलाल की सहमति एवं मौका रिपोर्ट अथवा साक्ष्य जिससे यह प्रमाणित हो कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि के ख0सं0 छीतरलाल मीणा व उसके वारिसान के नाम एवं छीतरलाल मीणा की खातेदारी की भूमि के ख0 सं0 प्रार्थी रामकल्याण के नाम दर्ज हुए है या दोनो आपस में एक दुसरे की खातेदारी पर अवैधानिक रूप से काबिज काश्त है , प्रमाणित नहीं होता है।

आदेश

परिणाम स्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रेकार्ड एवं साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पुर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(दीपक महावर)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा